294 6 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता के बारे में दिशा–निर्देश।

मुझे "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता के बारे में दिशा–निर्देश" संलग्न करने का निदेश हुआ है। ये दिशा–निर्देश लोक उद्यम विभाग के द्वारा दिनांक 12 अप्रैल, 2013 के का.ज्ञा. सं. 15(7)/2012–डीपीई(जीएम)–जीएल–104 के द्वारा जारी किए गए नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता संबंधी दिशा–निर्देशों का स्थान लेंगे। ये दिशा–निर्देश कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित सीएसआर नियमों (कंपनी अधिनियम, 2013) के अधीन अनुपूरक हैं तथा उनके साथ परामर्श करके जारी किए जाते हैं।

2. इन दिशा–निर्देशों के लिए मंत्री (भारी उद्योग और लोक उद्यम) का अनुमोदन है और ये 01.04.2014 से प्रभावी हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इन दिशा–निर्देशों को केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम क्षेत्रों की जानकारी में लाने का अनुरोध है।

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता के बारे में दिनांक 01.04.2014 से दिशा–निर्देश

1.0 पृष्ठभूमि

1.1 भारत सरकार ने अगस्त, 2013 में कंपनी अधिनियम, 2013 बनाया। कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसके बाद अधिनियम कहा गया है) की धारा 135 में नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) के बारे में कार्रवाई की जाती है। यह इन कंपनियों के लिए निवल मूल्य, कारोबार और निवल लाभ पर आधारित मानदंड निर्धारित करता है जिनको सीएसआर कार्यकलाप करने होते हैं तथा अन्य बातों के साथ–साथ कंपनियों के निदेशक मंडलों के द्वारा सीएसआर कार्यकलापों का चयन, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग करने के विस्तृत मॉडलिटीज को विनिर्दिष्ट करता है। अधिनियम की अनुसूची–VII में उन कार्यकलापों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनको कंपनियों के द्वारा अपनी सीएसआर नीतियों में शामिल किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 135 के उपबंध और अधिनियम की अनुसूची–VII सी.पी.एस.ई. सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है।

1.2 कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने अधिनियम के उपबंधों सहित सीएसआर नियमावली का प्रतिपादन किया है (जिसे इसके बाद "सीएसआर नियमावली" कहा गया है) तथा इसे 27.02.2014 को जारी किया है। सीएसआर नियमावली सी.पी.एस.ई. सहित सभी कंपनियों पर 01.04.2014 से लागू होती हैं।

1.3 सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अधिनियम के उपबंधों और सीएसआर नियमावली का पालन करना होगा। सीएसआर नियमावली अथवा अधिनियम की अनुसूची–VII में कारपोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचित कोई संशोधन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर भी बाध्यकर होंगे।

1.4 सीएसआर नियमावली की अधिसूचना से पहले लोक उद्यम विभाग द्वारा दिसंबर, 2012 में जारी सीएसआर और संपोषणीयता संबंधी दिशा–निर्देश दिनांक 01.04.2013 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू थे। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों में सीएसआर और संपोषणीयता विकास को पूरक के रूप में माना गया था और इसलिए इन पर साथ–साथ कार्रवाई की गई। सीएसआर को संपोषणीयता के मुख्य ढांचे के एक महत्वपूर्ण संघटक के रूप में देखा गया था। लोक उद्यम विभाग के वर्तमान दिशा–निर्देशों का आशय सीएसआर और संपोषणीयता की पूरकता

लागू करने तथा व्यापार करने में पोषणीय विकास और सीएसआर कार्यसूची के अनुरूप बड़े उद्देश्य की उपेक्षा न करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को सलाह देना भी है।

2.0 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए सीएसआर और संपोषणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देश

2.1 अधिनियम के सीएसआर उपबंध अधिनियम की अनुसूची–VI तथा सीएसआर नियमावली अलंघनीय है। तथापि, अधिनियम के सीएसआर उपबंध और सीएसआर नियमावली के अलावा, लोक उद्यम विभाग ने सीएसआर और संपोषणीयता पर दिशा–निर्देशों का प्रतिपादन किया है (जिन्हें इसके बाद में दिशा–निर्देश कहा गया है) जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों पर लागू होते हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि दिशा–निर्देश अधिनियम के किसी उपबंध अथवा अधिनियम की अनुसूची–VII अथवा सीएसआर नियमावली का स्थान नहीं लेते हैं अथवा रद्द नहीं करते हैं, अपितु ये उनके पूरक ही होंगे। दिशा–निर्देश का स्वरूप पहल अथवा प्रयास का है जिनकी केंद्रीय सार्वजनिक लोक उद्यम अपनी नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने मे मुख्य पणधारक आशा करते हैं। किसी ऐसी संभव स्थिति की परिकल्पना नहीं की जाती है जिससे सीएसआर नियमावली और दिशा–निर्देशों के बीच में टकराव हो। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि सीएसआर नियमावली और दिशा–निर्देशों के बीच किसी प्रकार की टकराव की स्थिति होती है, तो सभी परिस्थितियों पर पूर्ववर्ती लागू होंगे।

2.2 संपोषणीयता शब्द का उपयोग लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के शीर्षक में सीएसआर के साथ संयोजन में किया गया है, क्योंकि सीएसआर कार्यकलाप, जिनकी अधिनियम में तथा सीएसआर नियमावली में परिकल्पना की गई है, संपोषणीय पहलों के साथ पूरक हो सकते हैं क्योंकि दोनों का उद्देश्य पोषणीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। दिशा–निर्देशों में, सीएसआर नियमावली के साथ अनिवार्य अनुपालन की अपेक्षा के अतिरिक्त संपोषणीयता संबंधी पहल शुरू करने की आवश्यकता पर जोर दिया जाता है। दिशा–निर्देशों का उद्देश्य संपोषणीयता का सम्पूर्ण ढांचा उपलब्ध कराना है, जिसके अंतर्गत सीएसआर सुनिश्चित रूप से नियत का जाती है। अतः केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिशा–निर्देशों के साथ–साथ सीएसआर नियमावली को पढ़ने की सलाह दी जाती है जिससे वे स्पष्ट रूप से यह समझ सकें कि पणधारक उनसे क्या उम्मीद करते हैं।

2.3 अधिनियम में सभी कंपनियों के लिए सीएसआर नीति की व्यवस्था का प्रावधान है तथा सीएसआर नीति में जो सूचना देने की अपेक्षा होती है वह सूचना सीएसआर नीति में विनिर्दिष्ट की गई है। इस संबंध में अधिनियम के अनिवार्य प्रावधानों तथा सीएसआर नियमावली में कोई अन्तर नहीं होगा। तथापि, एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के सीएसआर नीति दस्तावेज में इस विजन और मिशन का विवरण भी शामिल होना चाहिए कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम किस तरह से दिशा–निर्देशों का पालन करने का प्रस्ताव करता है। जिन पहलों को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम शुरू करना चाहता है, उन व्यापक संपोषणीयता पहलों का भी उनमें उल्लेख होना चाहिए। चूंकि सी एस आर और संपोषणीयता संबंधी पहलू पूरक स्वरूप के होते हैं, और दोनों का नीतिगत दस्तावेजों में उल्लेख होगा, इसलिए यह सुझाव है कि इसका "सीएसआर और संपोषणीयता" नीति के रूप में उल्लेख किया जाए। नीति संबंधी दस्तावेजों और इसके सूचना प्रसार में बदलाव करने से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सीएसआर के प्रति वचनबद्धता में किसी प्रकार की कमी अथवा इसकी विषय–वस्तु में कमी नहीं होगी। अपितु यह सामाजिक, आर्थिक और परिवेश संबंधी चिन्ताओं को दूर करने के लिए ऐसे कुछ अतिरिक्त कदम स्वैच्छिक तौर पर उठाने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की इच्छा को भी दर्शाएगा, जो अधिनियम और सीएसआर नियमावली में यथा परिकल्पित सीएसआर के क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इसके विविध स्वरूपों में संपोषणीय विकास का संवर्धन करने के लिए ये ध्यान देने योग्य हैं।

2.4 सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए लागू निम्नलिखित दिशा–निर्देश सामान्यतः मार्गदर्शन सिद्धांतों के स्वरूप के हैं। दिशा–निर्देशों में कुछ अतिरिक्त अपेक्षाएं निहित हैं, जो नीचे अनुसार हैं:

i. लाभ कमाने वाले सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए अधिनियम के उपबंधों तथा सीएसआर नियमावली के अनुसार सीएसआर कार्यकलापों का करना अनिवार्य है। यहां तक कि जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम अधिनियम की धारा 135 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट निवल मूल्य, कारोबार अथवा निवल लाभ की सीमाओं पर आधारित पात्रता मानदंड के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके द्वारा भी अधिनियम और सीएसआर नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट सीएसआर कार्यकलापों को शुरू करना होगा और ऐसे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा सीएसआर कार्यकलापों के पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए लाभ की कम से कम 2% राशि खर्च करने की उम्मीद की जाएगी।

ii. सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को निदेशक मंडल के अनुमोदन से अपनी कंपनी के लिए विशिष्ट सीएसआर और संपोषणीयता नीति को अपनाना चाहिए। सीएसआर और संपोषणीयता के दर्शन और भावना को नीति में सुनिश्चित रूप से रखना चाहिए तथा यह सीएसआर अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम की अनुसूची–VII, सीएसआर नियमावली, दिशा–निर्देशों और सरकार के द्वारा समय–समय पर जारी किए गए नीतिगत निर्देशों के अनुरूप होना चाहिए। एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की सीएसआर और संपोषणीयता नीति को अधिनियम की अनुसूची–VII के अनुसार अपने सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने के लिए संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करना चाहिए तथा कार्य योग्य योजनाओं के प्रतिपादन के लिए एक रोडमैप देना चाहिए।

iii. यदि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम एक वर्ष की अवधि के दौरान नए सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं की शुरू करने की जरूरत महसूस करते हैं, जो कंपनी की सीएसआर नीति में पहले से ही शामिल सीएसआर कार्यकलापों के अलावा है, तो ऐसे अतिरिक्त सीएसआर कार्यकलापों के लिए बोर्ड के अनुमोदन को नीति के संशोधन के रूप में माना जाएगा।

iv. सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए अधिनियम और सीएसआर नियमावली मे यथा निर्धारित अपने सीएसआर कार्यकलापों के अनुसरण में तत्काल पूर्ववर्ती 3 वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभों की कम से कम 2% राशि खर्च करना अनिवार्य होगा, जो अधिनियम की धारा 135(1) में यथा निर्धारित मानदंड को पूरा करते हैं। औसत निवल लाभों की निर्धारित प्रतिशत राशि को अधिनियम और सीएसआर नियमावली में विनिर्दिष्ट तरीके से प्रत्येक वर्ष खर्च करनी होगी। यदि कोई कंपनी ऐसी राशि खर्च करने में असमर्थ रहती है तो इसके द्वारा इस राशि को खर्च न करने के कारण बताने होंगे। तथापि, एक विशेष वर्ष में इस राशि को खर्च न करने के कारणों की केवल सूचना देने अथवा बताने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में, इसे जोड़ा नहीं जाएगा तथा एक विशेष वर्ष में खर्च न की गई सीएसआर राशि समाप्त नहीं होगी। इसके बजाए इस राशि को उस प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अगले वर्ष के लिए ले जाया जाएगा जिसके लिए इसका आबंटन किया गया था।

v. अधिनियम की अनुसूची–VII में सूचीबद्ध कार्यकलापों से सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन करते वक्त केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा उन मुद्दों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो राष्ट्रीय विकास कार्यसूची में सबसे ज्यादा चिन्ता के हैं जैसे सभी के लिए सुरक्षित पेयजल, लड़कियों के लिए विशेष तौर पर शौचालयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई, शिक्षा आदि। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सीएसआर और संपोषणीयता नीति का मुख्य जोर निरन्तर विकास और सामूहिक विकास पर तथा समाज के वंचित, अधिकार प्राप्त, अपेक्षित और कमजोर वर्गों की बुनियादी जरूरतों का

समाधान करने पर होना चाहिए जिनमें अ.जा., अ.ज. जाति, अ.पि. वर्ग, अल्पसंख्यक, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवार, बूढ़े और बुजुर्ग, महिलाएं/बाल कन्या, शारीरिक रूप से विकलांग आदि शामिल हैं।

vi. उन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए, जो सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अपनी मुख्य सक्षमता का उपयोग तथा अपनी संसाधन क्षमताओं को गतिशील बनाने के लिए पूर्णतः उपयोग करते हैं, उनके लिए, उनको सीएसआर और संपोषणीयता नीति को अपनी व्यापार नीतियों और रणनीतियों के अनुरूप रखने तथा ऐसे सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं का चयन करने की सलाह दी जाती है जिनकी घरेलू सुविज्ञता के माध्यम से बेहतर मॉनीटरिंग की जा सकती है।

vii. सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से सदैव सामाजिक, आर्थिक और वातावरण की दृष्टि से मान्य तरीके से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। अपने सामान्य कारोबार कार्यकलापों में भी इस तरीके से व्यापार करके संपोषित पहलों के माध्यम से संपोषणीय विकास को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए जो व्यापार और समाज दोनों के लिए लाभप्रद हों। उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कारोबार की अपनी सामान्य अवधि के अनुरूप किए गए कार्यकलापों में भी संपोषणीय विकास के लिए अपनी सामाजिक और परिवेश संबंधी जिम्मेदारी एवं वचनबद्धता की उपेक्षा न करें। राष्ट्रीय और वैश्विक संपोषणीयता मानकों का, जो व्यापार में नीतिपरक कार्यों को बढ़ाते हैं, पारदर्शिता लाते हैं और जवाबदेही ही होते हैं, उनका योजना, क्रियान्वयन, मॉनीटरिंग और रिपोर्ट की संपोषणीयता पहलों के लिए मार्गदर्शक ढांचों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। लेकिन सामान्य व्यापार कार्यकलापों को करते समय संपोषणीय विकास के अनुसरण में संपोषणीयता पहलों पर खर्च की गई राशि अधिनियम और सीएसआर नियमावली में यथा निर्धारित लाभ की 2% राशि से खर्च की सीएसआर का एक भाग नहीं होगी।

viii. अपनी संपोषणीयता पहलों के एक भाग के रूप में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से अपने सामान्य मुख्य धारा के अपने कार्यकलापों में भी परिवेश संबंधी संपोषणीयता को यह सुनिश्चित करके महत्व देने की उम्मीद की जाती है कि उनके आन्तरिक प्रचालन और प्रक्रियाएं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देती हैं, अवशिष्ट सामग्री को कम/पुनः उपयोग/रि–साइकिल करती है, भू–जल आपूर्ति को पूरा करती है, ईको सिस्टम की सुरक्षा/संरक्षण/पुनः बहाली करती है, कार्बन निःस्सरण में कमी करती है, आपूर्ति चैन को बनाए रखने में मदद करती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों से उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके जिम्मेदार तरीके से आचरण करने की उम्मीद की जाती है, जो उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित और लाभप्रद हैं, संसाधन की दक्षता, उपभोक्ता अनुकूल है तथा उनके पूरे जीवनकाल में अर्थात कच्चा माल निकालने से लेकर उत्पादन उपयोग/उपभोग और अन्तिम निपटान तक पर्यावरण की दृष्टि से संपोषणीय है। तथापि, ऐसी संपोषणीयता पहलों को सीएसआर नियमावली में यथा विनिर्दिष्ट सीएसआर कार्यकलापों के रूप में नहीं माना जाएगा तथा उन पर खर्च की गई राशि सीएसआर व्यय का हिस्सा भी नहीं होगी। फिर भी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को ऐसी संपोषणीयता पहलों को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि यह संपोषणीय विकास के प्रति उनकी वचनबद्धता को प्रदर्शित करेगा।

ix. संपोषणीयता पहलों में कर्मचारियों के कल्याण, विशेषकर महिलाओं के कल्याण, शारीरिक रूप से विकलांग, अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि. वर्ग, श्रेणियों की रक्षा, सुरक्षा, व्यावसायिक सम्पन्नता तथा कानून से बाहर लाभप्रद कार्यकरण परिस्थितियों के बारे में उनकी चिन्ताओं को दूर करके उनके लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा उठाए गए कदम भी शामिल होंगे। तथापि, ऐसी संपोषणीयता पहलों पर किए गए व्यय को सीएसआर व्यय के रूप में माना नहीं जाएगा।

x. सीएसआर और संपोषणीयता के दर्शन और भावना को सभी स्तरों के कर्मचारियों के द्वारा समझाना और आत्मसात कर लेना चाहिए तथा कंपनी के प्रमुख मूल्यों में निहित करा लेना चाहिए।

xi. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क तक यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पहुँच रखनी चाहिए तथा निरीक्षण करना चाहिए कि जहां तक संभव हो आपूर्तिकर्ता, विक्रेता, सेवा प्रबंधक, ग्राहक और साझीदार भी नैगमिक सामाजिक जिम्मेदारी और संपोषणीयता के उन्हीं सिद्धांतों और मानकों के लिए वचनबद्ध होते हैं, जिनके लिए कंपनी वचनबद्ध होती है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को आपूर्ति चैन को "ग्रीनिंग" के उद्देश्य से उपायों को शुरू करने तथा कार्यान्वित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

xii. अधिनियम में जैसा उल्लेख किया गया है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को अपने सीएसआर कार्यकलापों के स्थल का चयन करने में "स्थानीय क्षेत्र" को वरीयता देनी चाहिए। यह वांछनीय है कि अपने वाणिज्यिक प्रचालनों की प्रकृति, समाज और पर्यावरण पर उनके प्रचालनों के प्रभाव की मात्रा, तथा मुख्य पणधारकों, विशेष वे जो कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालों/कार्यकलापों से प्रत्यक्षतः प्रभावित होते हैं, उनके सुझावों/मांगों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के निदेशक मंडल उनकी वाणिज्यिक इकाइयों/संयंत्रों/परियोजनाओं के "स्थानीय क्षेत्र" के कार्य–क्षेत्र को सुनिश्चित करते हैं। "स्थानीय क्षेत्र" की परिभाषा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की सीएसआर नीति का भाग बन सकती है।

xiii. स्थानीय क्षेत्र को उचित वरीयता देने के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम देश में कहीं पर भी सीएसआर कार्यकलाप शुरू भी कर सकते हैं। प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम का निदेशक मंडल स्थानीय क्षेत्र और इसके बाहर के क्षेत्र के बीच व्यय की गई सीएसआर के निर्देशात्मक अनुपात के बारे में निर्णय भी कर सकता है तथा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम की सी एस आर नीति में इसका उल्लेख किया जा सकता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों का उनके कारोबार की प्रकृति की वजह से वाणिज्यिक प्रचालनों के कोई विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र नहीं होते हैं, इसलिए वे देश में अपनी पसन्द के किसी स्थान सीएसआर कार्यकलाप/परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।

xiv. जहां तक संभव हो, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा उस परियोजना में सीएसआर कार्यकलाप शुरू करने चाहिए जिसमें आवंटित बजट के भीतर अपेक्षित संसाधनों की मात्रा का पूर्व–अनुमान लगाकर अलग–अलग मील–पत्थरों (स्थानों) पर लक्ष्य निर्धारित करके और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए एक निश्चित समय अवधि में लक्ष्य निर्धारित करके पहले ही निष्पादन के चरणों की योजना बनाना शामिल होता है।

xv. कंपनी के द्वारा शुरू किए गए सीएसआर कार्यकलापों तथा संपोषणीयता पहलों के संबंध में उनके मत और सुझाव सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पणधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत और परामर्श करने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा एक सम्प्रेषण रणनीति बनानी चाहिए। तथापि, सीएसआर कार्यकलापों का चयन और कार्यान्वयन करने का अन्तिम निर्णय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड का होगा।

xvi. सीएसआर नियमावली के अनुसार सभी कंपनियों के द्वारा अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट शामिल करनी होती है। सीएसआर नियमावली द्वारा उपलब्ध कराए अनुसार सीएसआर कार्यकलापों की सूचना देने संबंधी टेमप्लेट/प्रपत्र का सख्ती से पालन करना चाहिए। तथापि, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा दिशा–निर्देशों का कार्यान्वयन करने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में एक संक्षिप्त विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में भी शामिल करना होगा, ताकि पणधारकों को न केवल सीएसआर कार्यकलापों के बारे में सूचित किया जा सके बल्कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा की गई संपोषणीयता पहलों के बारे में सूचित किया जा सके। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को वार्षिक संपोषणीयता रिपोर्ट तैयार करने की भी सलाह दी जाती है, जिससे ब्राण्ड धारणा

में सुधार करने के अलावा कंपनी के प्रचालनों को अधिक पारदर्शिता और जबावदेही बना सकेगी।

xvii. यह वांछनीय है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों ने किसी सीएसआर कार्यकलाप का चयन करने से पूर्व एक बेसलाइन/आवश्यकता मूल्यांकन संबंधी सर्वेक्षण कराया है। यह भी वांछनीय है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा किए गए सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं के बारे में बाहरी एजेंसियों के द्वारा एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी कराना चाहिए। बड़ी–बड़ी परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन कराना अनिवार्य है, जिनका प्रारंभिक मूल्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बोर्ड के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है और इसको उसकी सीएसआर और संपोषणीयता नीति में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है। तथापि, बेसलाइन सर्वेक्षण और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर किया गया व्यय सी एस आर नियमावली के अधीन यथा उपलब्ध सीएसआर व्यय के प्रशासनिक ऊपरी खर्चों के 5% की समग्र सीमा के अंतर्गत होना चाहिए।

xviii. अधिनियम के उपबंधों, अधिनियम की अनुसूची–VII तथा सीएसआर नियमावली के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को उनके सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं के अधिक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव हेतु अन्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सहयोग से सीएसआर कार्यकलापों/परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है।

xix. सीएसआर और संपोषणीयता पर लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, जो 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी थे, वर्ष 2013–14 में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं को उनके पूरे होने तक जारी रखा जा सकता है। तथापि, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यह सुनिश्चित करें कि सभी नए सीएसार कार्यकलाप/परियोजनाएं सीएसआर नियमावली के अनुसार हैं।

xx. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सांविधिक निगम हैं, उनको अधिनियम के उपबंधों, सीएसआर नियमावली तथा दिशा–निर्देशों का पालन भी करना चाहिए।

xxi. ये दिशा–निर्देश सीएसआर और संपोषणीयता के विषय पर लोक उद्यम विभाग के द्वारा पहले जारी किए गए दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/अनुदेशों के स्थानों पर होंगे।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 15(13)/2013–डीपीई(जीएम), दिनांकः 21 अक्तूबर, 2014)

******